२८८।

19/4/18 पत्रावली पेश हुई / वकील प्रार्थी-
अप्रार्थी उपस्थित / अप्रार्थी वकील द्वारा
जबाब पेश किया गया / प्रस्तुत जबाव
की नकल प्रार्थी के वकील को दिखाई
गई / टी.आई. प्रार्थना पत्र वास्ते बहस
दिनांक 20/4/18 को पेश हो /

SDO

20/4/18
पत्रावली प्रस्तुत हुई / वकील प्रार्थी-अप्रार्थी
उपस्थित / पक्षकार वकीलो से बहस समायत
की गई / प्रार्थी वकील का तर्क है कि विवादग्रस्त
भूमि मौजा मालपुर की जमाबंदी संवत 2070
- 2073 खाता सं. 34 नई 86 पुरानी मे खसरा
नं. 481 रकबा 14 बिगा एवं खसरा नं. 482 मे
1 बीघा 6 बीस्वा भूमि भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व
एवं आधिपत्य मे है इस भूमि मे दोनो खसरो मे
$1/6 + 4/6 = 5/6$ हिस्से के मालिक है / साथ ही वाद
भी न्यायालय मे जेर कार्यवाही है जो कि विपक्षीगण
के हिस्से मात्र 6 बीस्वा भूमि आती है ऐसी
स्थिति मे खातेदार कब्जेदार होने से सुविधा
का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से विवादित
भूमि पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध तार्फसला वाद
अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्माण नही करने रोका
जावे / भूमि का बंटवारा भी नही हुआ है न ही
कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण वैध नही है

वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि का आपस में मौखिक बंटवारा हो गया है। अप्रार्थीगण के हिस्से में भूमि आई है। उस पर पक्का आवास का निर्माण किया जा रहा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। प्रार्थना निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के विवादित भूमि में हिस्सा खातेदारी का अप्रार्थीगण के हिस्से की तुलना काफी अधिक होकर कब्जे में है। विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा भी नहीं हुआ है। वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अतः विवादग्रस्त मौजा मालपुर की भूमि पर मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के फैसले तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल हो। मूल वाद की पत्रावली में संलग्न हो।

होना बताया

SDO